





राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022



अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-79 (लोसू0अ0)/2023-24

श्री गजेन्द्र कुमार सिंह, ग्रा.+पो.-बभनियॉव, था.-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर-802158
बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
14.09.2023	<p>श्री गजेन्द्र कुमार सिंह, ग्रा.+पो.-बभनियॉव, था.-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर-802158 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-13.09.2023 इस कार्यालय में दिनांक-14.09.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-60F 441871 दिनांक-शून्य संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराया।</p> <p>अपीलार्थी श्री गजेन्द्र कुमार सिंह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-11.08.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री गजेन्द्र कुमार सिंह उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-11.08.2023 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक-11.08.2023 से संबंधित अभिलेख/प्रतिवेदन की मांग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक-03.10.2023 को उपस्थापित करें।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>
क्रमांक-1432/2023 (111)	<p>दिनांक-15-09-2023</p> <p>प्रतिदिपि-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री गजेन्द्र कुमार सिंह, ग्रा.+पो.-बभनियॉव, था.-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर-802158 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p> <p>आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी</p>

अपील वाद संख्या-79 (लो०सू०अ०)/2023-24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
03.10.2023	<p>दिनांक-14.09.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्री गजेन्द्र कुमार सिंह को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक-11.08.2023 के क्रम में इस सचिवालय द्वारा की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की सूचना अपने पत्रांक-170 दिनांक-03.10.2023 के माध्यम से भेजी गयी है।</p> <p>लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने पत्र में यह उल्लिखित किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गए आवेदन (जो दिनांक-07.07.2023 को राज्यपाल सचिवालय में प्राप्त हुआ था) पथ-भ्रष्ट होने के कारण अभी भी कार्रवाई नहीं की गयी थी। अब इस पर कार्रवाई की जा रही है।</p> <p>विदित हो कि अपीलार्थी श्री सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील आवेदन उनके द्वारा दायर किये गए प्रपत्र 'क' दिनांक-11.08.2023 के करने की कोई सूचना/अनुरोध प्राप्त नहीं होने के कारण दायर की गयी थी। अब चूंकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में सूचना अपीलार्थी को भेज दी गयी है।</p> <p>अतः अपील वाद पर किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;">  3/10/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार </p>	
<p>ज्ञापांक-1520/10250(III)</p> <p>प्रतिलिपि:-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री गजेन्द्र कुमार सिंह, ग्रा.+पो. बभनियॉव, था.-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर-802158 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p>	<p>दिनांक-04-10-2023</p> <p style="text-align: right;">  3/10/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी </p>	